न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 66/2019/आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. मदनलाल पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी ग्राम चक तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—–प्रार्थी

ब ना म

1. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—–अप्रार्थी

आवेदन बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती अं.धारा 136 एल.आर.एक्ट

नि र्ण य दिनांक – 05.09.2019

1. आवेदन में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार सें है कि ग्राम चक तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 275 रकबा 25 बीघा 16 बिस्वा में सें 3/8 हिस्से में सें गुल्ली बेवा धन्ना जाति जाट निवासिनी ग्राम चक ने अपना हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र सें मदन, गोपाल पुत्रगण दुलाराम जाति जाट निवासी चक को 25.07.86 को बेचान कर दिया है। उक्त भूमि का नामांतरण सं. 612 के द्वारा केतागण मदन, गोपाल पुत्रगण दुलाराम जाति जाट के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो चुका है। उक्त वर्णित आगामी जमाबंदी आधार वर्ष संवत् 2051 सें मदन के स्थान पर रामदेव दर्ज कर दिया गया है, जो नाम आज दिन भी आगामी जमाबी में संहवन सें गलत ही चल रहा है। उक्त नाम को रामदेव के स्थान पर सही व वास्तविक नाम ''मदन'' किया जावे। अतः आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट प्रस्तुत कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रामदेव के स्थान पर मदन दर्ज किया जावे।
2. प्रार्थी की ओर सें आवेदन पेश होने पर तहसीलदार दांतारामगढ ने जवाब पेश किया गया। जिसके अनुसार'' ग्राम चक के गत खसरा नम्बर 275 रकबा 25 बीघा 16 बिस्वा में गुल्ली बेवा धन्ना के द्वारा दिनांक 25.07.1986 को अपना हिस्स मदन गोपाल पुत्रगण दुलाराम को विकय किया। उक्त विकय पत्र के नामांतरण सं0 612 दिनांक 05.09.1986 मदन गोपाल पुत्रगण दलाराम के पक्ष में हुआ जो सही स्वीकार हुआ। भूप्रबंध सें पूर्व जमाबंदी सं0 2042–45 में विकय पत्र नामांतरण सं0 612 के नाते अंकित हुआ जो सही हुआ है। भूप्रबंध विभाग सें प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) दांतारामगढ़ ... V-7

दिनांक 14.09.2019

जमाबंदी आधार वर्ष में मदन के स्थान पर रामदेव दर्ज हुआ जो वर्ष 2070–73 तक में रमदेव पु. दुलाराम चला आ रहा है जो गलत है। जमाबंदी संवत् 2070–73 ग्राम चक खाता सं0 39 किता 11 रकबा 6.53 हैक्टर मकें रामदेव पु0 दुलाराम हि0 3/8 के स्थान पर मदन पु0 दुलाराम हि0 3/80 बाबत जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई। जिसका अवलोकन किया गया तथा सहखातेदार बेगाराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी चक तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के बयान लिये गये जिनमें सहखातेदार ने व्यक्त किया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रामदेव के स्थान पर मदन पुत्र दुलाराम किया जाना उचित है तथा उसें कोई आपत्ति नहीं है।

3. तहसीलदार दांतारामगढ सें प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन सें स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रामदेव संहवन सें दर्ज हुआ है जिसें दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी मदन पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी ग्राम चक तहसील दांतारामगढ जिला सीकर का आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम चक तहसील दांतारामगढ की भूमि खाता सं0 39 किता 11 कुल रकबा 6.53 हैक्टर में प्रार्थी का नाम रामदेव पि0 दुलाराम के स्थान पर मदन पि0 दुलाराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम व दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 05.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner